न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 75/23 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2023/89)

प्रभु पुत्र प्रताप सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम राधेपुरा थाना मनियां तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 04.09.2018

उपस्थितिः—

1. श्री हरिवीर सिंह वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 19.09.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 04.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट श्री प्रभु सिंह ने उसके अनुज्ञा पत्र संख्या 10/1973 जो कि दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किए जाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में दिनांक 03.02.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में अपीलान्ट को दिए गए नोटिस की जवाबदेही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब पर कोई गौर नहीं कर मनमाने तौर पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 को पारित किया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश किए जाने पर अपीलान्ट की अपील को मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया। रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की विधिवत तामील होने के बाबजूद भी कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए प्रकरण में लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट एक सीधा–साधा शान्तिप्रिय किसान व्यक्ति है। जिसके पास अपनी सुरक्षा हेतु एस.बी.बी.एल रायफल नंबर 5489 आई.डी.एफ.एल है, जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/73 है। उक्त अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। इसको नवीनीकरण किए जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर की ओर से नोटिस

दिनांक 28.05.2016 अपीलान्ट को प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख था कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के पत्र दिनांक 06.04.2016 के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नंबर 116/77 धारा 380, 354 आई.पी.सी चार्जशीट दिनांक 28.02.1978, मुकदमा नंबर 251/96 धारा 91 (6) एल.आर.एक्ट चार्जशीट नंबर 15 दिनांक 28.01.1997 एवं मुकदमा नंबर 285/05 धारा 143, 223, 336, 341 आई.पी. सी चार्जशीट नंबर 245 दिनांक 24.10.2005 थाना मनियां जिला धौलपुर में पंजीबद्ध हुआ है। इस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत नहीं किए जाने की सिफारिश की थी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट पर न तो यह लिखा कि उपरोक्त मुकदमे किस न्यायालय में विचाराधीन है। किस प्रकरण में अपीलान्ट को सजा हुई है। पूर्व में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारी का चाल चलन अच्छा है। वह किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, उसके खिलाफ वर्ष 2005 के बाद जिले के किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और न ही कोई मुकदमा विचाराधीन है। अपीलान्ट की ओर से उक्त नोटिस का जवाब जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेख किया था कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पूर्व में दी गई रिपोर्ट की ही पुनरावृत्ति की है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा पूर्व में दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने आदेश दिनांक 15.06.2011 के द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र निलम्बित किए जाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश की गई थी, जिसे अदालत हाजा की ओर से आदेश दिनांक 10.01.2012 के द्वारा स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई किए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को प्रेषित किया था। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने आदेश दिनांक 27.05.2014 के द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र को दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत किए जाने के आदेश दिए थे। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। अपीलान्ट की ओर से नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र नियत समयावधि से पूर्व प्रस्तुत किया गया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर के कार्मिकों द्वारा यह कहकर लौटा दिया गया कि प्रार्थना पत्र की समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने के बाद में प्रस्तुत किया जावे। जिस पर अपीलान्ट को समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने तथा थाने से रिपोर्ट कराने में समय लगने के कारण दिनांक 03.02.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 27.05.2014 से आज दिनांक तक अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और न ही अपीलान्ट ने अपने शस्त्र का कोई दुरूपयोग ही किया है। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण मुकदमा नंबर 116/1977 किस न्यायालय में किस स्तर पर पेन्डिग है। दूसरी ओर अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र अदालत मातहत में पेश किया है कि उसके विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके बाबजूद मुकदमों को पेन्डिग मानते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी खेतीबाढ़ी का कार्य कर अपना जीवनयापन कर रहा है। अपीलान्ट का शस्त्र काफी समय से

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

थाना मनियां में जमा है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा जिन प्रकरणों का हवाला देकर अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किए जाने का लिखा था। उनके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पूर्व में ही निर्णय दिनांक 27.05.2014 में पूर्ण विवेचन करने के बाद अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किए जाने का आदेश दिया था। ऐसी स्थिति में उन्हीं प्रकरणों के आधार पर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता, न ही अपीलान्ट को आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति माना जा सकता है तथा शस्त्र का दुरूपयोग करने की आशंका भी व्यक्त नहीं की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 में मुकदमा नंबर 116/1977 के लम्बित होना बताकर शस्त्र नवीनीकरण को निरस्त किए जाने का आदेश दिया है, जो कि पूर्व प्रकरण संख्या 86/12 में दिए गए अभिमत के विरूद्ध है। अपीलान्ट को सभी प्रकरणों में दोषमुक्त किया जा चुका है। कोई भी प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से प्रकरण में न तो नियमित सुनवाई की गई और न ही अपीलान्ट को कोई तारीख दी गई। दिनांक 09.08.2019 को अपीलान्ट के अपने वकील के पास जाने पर अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा नकल प्राप्त करते ही अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है, जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 जो कि दिनांक 10.09.2018 को जारी किया गया है, को निरस्त किया जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किए जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 जो कि दिनांक 10.09.2018 को जारी हुआ है, के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 14.08.2019 को मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु का निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.08.2019 को अपीलान्ट के वकील के माध्यम से होने पर जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया तथा नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2018 अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2016 के क्रम में पारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र दिनांक 17.03.2016 के द्वारा 5 बिन्दुओं के बारे में रिपोर्ट चाही गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर के पत्र दिनांक 06.04.2016 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध 3 प्रकरण दर्ज होने के कारण अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंषा की गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में अपीलान्ट को आयुध अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर की ओर से नोटिस दिनांक 05.05.2016 को जारी किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का उल्लेख कर नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में जवाब पेश किए जाने की अपेक्षा की गई। जिसकी पालना में अपीलान्ट की ओर से दिनांक 03.06.2016 को जवाब पेश किया गया। इस जवाब में पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त हुई पूर्व रिपोर्ट जिसके आधार पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया था, के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश किए जाने व अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2014 के द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र को दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत किए जाने का उल्लेख किया गया था। इस जवाब में यह भी उल्लेख किया गया था कि दिनांक 27.05.2014 से जवाब पेश किए जाने की दिनांक तक अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है और न ही प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग किया गया है। उक्त जवाब के साथ अपीलान्ट की ओर से शपथ पत्र व जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 की प्रति भी प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र दिनांक 22.07.2016 के द्वारा पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र दिनांक 16.08.2016 के द्वारा पुनः अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किए जाने की सिफारिश की गई। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने पत्र दिनांक 24.11.2016 के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किए जाने में कोई आपत्ति होना नहीं बताया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र दिनांक 02.08.2018 के द्वारा पुनः इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि अपीलान्ट की ओर से शस्त्र का नवीनीकरण अवधि में कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट का शस्त्र थाने में जमा होने व अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किए

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाने की अनुशंषा की गई। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 को पारित किया गया है। उसे उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्त निर्णय में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह माना है कि संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट में अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दर्ज अभियोग व तथ्यों को छिपाया गया है। इस आधार पर आवेदक की संदिग्ध भूमिका से इनकार नहीं किए जा सकने के आधार पर अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/73 निरस्त किए जाने का आदेश दिया है, परन्तु उक्त आदेश में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों के बार में कोई विवेचन नहीं किया गया और न ही अपीलान्ट के प्रकरण में ही तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से प्रकरण संख्या 86/2012 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 जिसमें पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में पूर्ण विवेचन करने के बाद अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किए जाने का आदेश दिया है, के संबंध में ही किसी प्रकार का कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में दिया है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज जिन प्रकरणों का हवाला देते हुए अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत नहीं किए जाने की टिप्पणी की है, के संबंध में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया है कि वर्तमान में उसके विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं है तथा दिनांक 27.05.2014 के बाद कोई अन्य प्रकरण भी दर्ज नहीं है एवं अपीलान्ट की ओर से शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। इस संबंध में भी जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र निरस्त किए जाने से पूर्व विचार किया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलाधीन निर्णय में इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2018 जो दिनांक 10.09.2018 को जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर देने के बाद अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा अपीलान्ट के प्रकरण में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

19.09.2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर